कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1784 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 05 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री सागर सिंह,
म0नं0–13, R.K पुरम,
तरला अधोईवाला,डालनवाला
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–524/रा0नि0आ0–1/2595/2019 दिनांक 03 अप्रैल, 2019 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, उक्त पत्र के साथ संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 29 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 01	लोक सभा सामान्य निर्वाचन– 2019 मतदान दिवस के दिन अवकाश के संबंध में उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय के शासनादेश संख्या–293/**XXXi**(15)/G/19//यू0ओ0 01(सा0)/2011 दिनांक 26 मार्च, 2019 की प्रति सत्यापित कर संलग्न प्रेषित है।

उक्त संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव इस कार्यालय से संबंधित नही है और न ही सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः उक्त सूचना दी जानी सम्भव नही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– / xxxi(15)/G/19/यू0ओ0 01(सा0)/2011
देहरादून दिनांक 26 मार्च, 2019

विज्ञप्ति / विविध

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पव–1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु घोषित मतदान तिथि **दिनांक 11 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार)** को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रकिया वाले संस्थानों(उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत/मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक/कोषागार/उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–293/ xxxi(15)/G/19/यू0ओ0 01(सा0)/2011तददिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालयों व कार्यालयों में उक्त निर्दिष्ट तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
4. सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्य मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्रीगणों के अवलोकनार्थ प्रेषित।
11. महानिदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड प्रदेश के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देव सिंह)
उप सचिव।

Recd
4/4/019

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या–524 /रा0नि0आ0–1/2595/2019 दिनांक 03/ अप्रैल, 2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री सागर सिंह, म0नं0–13, R.K. पुरम, तरला अधोईवाला, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 29.03.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 02.04.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र में चाही गयी सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

03/4/19

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2595/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री सागर सिंह, म0नं0–13, R.K. पुरम, तरला अधोईवाला, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

पंजीकृत

(2595)

सेवा मे   06 / 02/4/19

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
रिंग रोड, रायपुर दे० दून
(उत्तराखण्ड)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

महोदय :- उपरोक्त विषय के क्रम मे निवेदन है कि अनुरोधकर्ता को निम्न बिन्दु की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(1) ऐसे राजकीय कर्मचारी / शिक्षक जो कि अपने निवास स्थान (आवास) से दुर्गम क्षेत्र (200 K.M) मे तैनात / कार्यरत है को मतदान दिवस हेतु मतदान करने के लिए अपने मुख्यालय से निवास स्थान (आवास) तक आने-जाने के लिए किसी प्रकार का राजकीय अवकाश तथा साथ ही आना अवकाश भी देय / स्वीकृत होता है यदि हाँ तो कितने दिनो का तथा इस सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट आदेश / शासनादेश लागू है तो उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

181/आ०प०/19

सचिव व

2

02-4-19

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

दिनांक :- 29/03/2019

भवदीय

(सागर सिंह)

संलग्न :- आवेदन शुल्क ₹ 10/-
(I.P.O:- 46F 368239)

449/नि०आ०/19
11/4/19

(रोशन लाल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड
4/4/19

श्री नयाल

([illegible])
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

अनुरोधकर्ता का नाम व पता :-
सागर सिंह / म० न० :- 13 R.K
पुरम तरला अठोईवाला P.O:-
डालनवाला देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)।